

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रार/SIQE/शाला सिद्धि/19616/2017/ 662

दिनांक:- 9.3.18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए),  
समस्त

**विषय :** शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर 100 से कम नामांकन वाले यूपीएस एवं 80 से कम नामांकन वाले पीएस विद्यालयों की फीडिंग के संबंध में।

**प्रसंग:** रामाशिप/गुणवत्ता/शाला-सिद्धि/2016-17/4072 दिनांक 26.02.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2016-17 से सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम शाला सिद्धि प्रारम्भ किया गया है।

इस क्रम में सत्र 2017-18 में 60 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय (पीएस) एवं 100 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों (यूपीएस) के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाकर ऑनलाइन डैश बोर्ड प्रविष्टि की जानी है। इस हेतु जिले के संस्थाप्रधानों को साक्ष्यानुसूचित विद्यालय से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन शाला-सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने हेतु आदेशित करें। इस कार्य को सम्पादित कराने की अंतिम तिथि 18.03.2018 है।

शाला सिद्धि पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रासंगिक पत्रानुसार संलग्न हैं। जिले की न्यून प्रगति रहने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे तथा इसे आपकी कार्य के प्रति उदासीनता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

संलग्न- प्रासंगिक पत्र

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

अतिरिक्त निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रार/SIQE/शाला सिद्धि/19616/2017/ 662  
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 9.3.18

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक रमसा, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त, रामाशिप, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर
5. निदेशक एसआईआईआरटी उदयपुर
6. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त संभाग
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा समस्त जिले
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, आरएमएसए/एसएसए, समस्त जिले
9. वीईईओ/पीईईओ समस्त
10. कम्प्यूटर अनुभाग माध्य./प्रारं. शिक्षा को भेजकर लेख है कि पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर